न्यायालय सहायक कलक्टर लालसोट जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी — विजेन्द्र कुमार मीना (आरएएस)

मुकदमा नम्बर — 2021/186, पूर्व नम्बर 85/20

रज्जू दिनांक — 01.01.2021

1. शिवकुमार आयु 62 वर्ष पुत्र स्व. आनन्दीलाल
2. बालकृष्ण आयु 50 वर्ष पुत्र स्व. आनन्दीलाल
3. श्रीमती सुरज्ञान देवी उम्र 82 वर्ष पत्नि स्व. आनन्दीलाल
4. श्रीमती उर्मिला देवी पुत्री आनन्दीलाल आयु 52 वर्ष पत्नि राधेश्याम जाति ब्राह्मण निवासी लक्ष्मीनारायणपुरी रामगंज बाजार जयपुर
5. श्रीमती निर्मला देवी पुत्री आनन्दीलाल आयु 48 वर्ष पत्नि अशोक शर्मा निवासी बरदीया कॉलोनी, रामनिवास बाग के पास जयपुर।

— प्रार्थीगण

बनाम्

1. मीठलाल पुत्र शम्भूलाल आयु 80 वर्ष जाति मीना निवासी कोठीवाली ढाणी मण्डावरी तहसील लालसोट जिला दौसा
2. ललख्न्द पुत्र दीनदयाल आयु 30 वर्ष जाति मीना निवासी कोठीवाल ढाणी मण्डावरी तहसील लालसोट
3. जगदीश पुत्र बजरंगलाल उम्र 70 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम मण्डावरी तहसील लालसोट जिला दौसा।

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :— 1. श्री ब्रजमोहन गोड — अधिवक्ता प्रार्थीगण

2. श्री हरिनारायण माठा — अधिवक्ता अप्रार्थीगण

सह...
...-दौसा (राज.)

उपखण्डाधीश प्रार्थीगण के रूप में थे ने वाद उनवानी आम जनता बनाम आनन्दीलाल आदि न्यायालय उपजिलाधीश दौसा में दिनांक 13.12.1994 को प्रस्तुत किये जो दिनांक 25.07.2012 को न्यायालय उपजिला कलक्टर लालसोट द्वारा निर्णीत फरमाये गये। दौनो वाद पत्र निरस्त होने के बाद आम जनता मण्डावरी जरिए मीठालाल नाम से उक्त आराजीयात् को राजकीय भूमि घोषित करवाने हेतु रेफरेन्स न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा में दिनांक 05.10.2015 को प्रस्तुत किया गया। उक्त न्यायालय से पत्रावली को अप्रार्थी संख्या एक के आवेदन पर स्थानान्तरित कर जिला कलक्टर दौसा को ट्रासंफर कर दिया गया। न्यायालय ने उनवानी रेफरेन्स संख्या 1/2017 आदेश दिनांक 05.08.2019 निरस्त फरमा दिया। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या एक व तीन द्वारा विगत 25 वर्षो से प्रार्थीगण को मुकदमेबाजी में फंसाकर परेशान किया जा रहा है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को बलपूर्वक भूमि वादग्रस्त चरण संख्या एक के संबंध में परेशान करते आ रहे है जबकि अप्रार्थीगण का भूमि वादग्रस्त से कोई संबंध सरोकार नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण सक्षम न्यायालयों द्वारा निरस्त फरमाये जा चुके है। प्रार्थीगण आराजी वादग्रस्त खसरा नम्बर 255 रकबा 9 ऐयर, खसरा नम्बर 782 रकबा 38 ऐयर किता दो कुल रकबा 47 ऐयर वाकै ग्राम मण्डावरी के खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की पैतृक कृषि भूमि है, जिस पर प्रार्थीगण के पूर्वज स्व. गोपीलाल व उनकी मृत्यु के बाद स्व. आनन्दीलाल तथा उनकी मृत्यु के बाद प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी के संबंध में विधिक एवम भौतिक अधिकार प्राप्त है। अप्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि में कोई हित निहित नहीं है। अप्रार्थीगण बाहुबल से प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के जायज लाभ से प्रार्थीगण को वंचित करना चाहते है जिसके कारण प्रार्थीगण के हक अधिकारों का हनन होने व अपूरणीय क्षति होने की प्रबल सम्भावना है। अप्रार्थीगण ने दिनांक 09.07.2020 को प्रार्थीगण को भूमि से निष्कासित करने की धमी दी है इस कारण प्रार्थीगण न्यायालय से संरक्षण प्राप्त करने को अधिकृत है। इस प्रकार अभिवचन कर प्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 255 एवम् 782 किता दो कुल रकबा 47 ऐयर वाकै ग्राम मण्डावरी तहसील लालसोट जिला दौसा स्थित भूमि पर प्रार्थीगण के आधिपत्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने, प्रार्थीगण को काश्त करने, डोलबंदी करवाने में रूकावट पैदा करने अथवा बलपूर्वक निष्कासित करने से स्वयं अपने परिवारजन व अपने सेवको साथियों सहित अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा प्रतिबन्धित करवाने का निवेदन किया है।

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज.)

निर्णय दिनांक 21/05/24

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण शिवकुमार व अन्य द्वारा ग्राम मण्डावरी तहसील लालसोट स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 255 रकबा 9 ऐयर गै0मु आबादी व खसरा नम्बर 782 रकबा 0.47 है0 को वादग्रस्त करार देते हुए अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना –पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी एवम् कब्जेकाश्त की भूमि है। जिसके भू–प्रबन्ध से पूर्व के नम्बर 1177/589 रकबा 14 बिस्वा गै0मु0 बगीची, खसरा नम्बर 1174/589 रकबा 15 बिस्वा गै0मु0 बगीची राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रहे है। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2008–2022 में उक्त वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 2431 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा व खसरा नम्बर 2432 रकबा 1 बिस्वा वाकै ग्राम मण्डावरी की खातेदारी प्रार्थी संख्या एक लगायत तीन के दादा स्व. गोपीलाल पुत्र श्योनाथ जाति ब्राह्मण एवम् मुंशीलाल, गजानन्द पिसरान् श्रीनारायण जाति सुनार निवासी ग्राम मण्डावरी के नाम हिस्सा 1/2, 1/2 के रूप में अंकित चली आ रही थी जिसमें खातेदारान् काश्त कर लाभान्वित होते थे। प्रार्थीगण के अभिवचन है कि वादग्रस्त भूमि पर वृक्षारोपण कर दिया जिसके कारण भूमि की प्रकृति गै0मु0 बगीची के रूप में अंकित हो गई। भू–प्रबन्ध के बाद हुए भूमि एकीकरण के समय सम्वत् 2019 में वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर परिवर्तित होकर खसरा नम्बर 589 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा गै0मु0 बगीची, खसरा नम्बर 590 रकबा 5 बिस्वा गै0मु0 बगीची, खसरा नम्बर 591 रकबा 01 बिस्वा गै0मु0 चाह होकर पूर्ववत खातेदारी हिस्सा 1/2 स्व. गोपीलाल व हिस्सा 1/2 मुंशलाल, गजानन्द कं नाम दर्ज फरमाया गया। भूमि एकीकरण के बाद खसरा नम्बर 1173/589, 1174/589 व 1175/589 राजस्व ऐजेन्सी द्वारा अंकित किये गय है। स्व. गोपीलाल की मृत्यु के बाद आराजी खसरा नम्बर 207 व खसरा नम्बर 1543/581 कुल रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा ग्राम मण्डावरी की खातेदारी स्व. आनन्दीलाल के नाम व उनकी मृत्यु के बाद नामान्तरकरण संख्या 1625 से उत्तराधिकारी प्रार्थीगण के नाम अकित हुई। आगे प्रार्थना पत्र के कथन है कि आनन्दीलाल एवम मुंशीलाल व स्व. गजानन्द के पुत्रगण प्रहलाद आदि को पक्षकार अप्रार्थीगण बनाकर मंदिर शिवजी महाराज ग्राम मण्डावरी जरिए कैलाशचन्द पुत्र मूलचन्द जोगी पुजारी के नाम से आनन्दीलाल आदि एवम एक अन्य वाद आम जनता मण्डावरी द्वारा बद्रीलाल आदि जिसमें अप्रार्थी मीठालाल एवम अप्रार्थी

सहायक कलेक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज०)

प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट से स्थानान्तरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता की ओर से वकील श्री एच.एन. माठा उपस्थित है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के कथनों का खण्डन करते हुए अप्रार्थीगण की ओर से जवाब मय प्रति–प्रार्थना पत्र पेश किया कि खसरा नम्बर 783 रकबा 19 एयर है जो वर्तमान में प्रहलाद, सीताराम, शम्भूदयाल, गोपाल पिसरान गजानन्द कौम सुनार के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। भू–प्रबन्ध से पूर्व उक्त भूमियों के खसरा नम्बर 1177/589 रकबा 14 बिस्वा गै0मु0 बगीची, खसरा नम्बर 1174/589 रकबा 15 बिस्वा गैर मुमकिन बगीची दर्ज होने तथा भू–प्रबन्ध सम्वत् 2008 से 2022 में वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 2431 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा गैर मुमकिन बगीची एवम् खसरा नम्बर 2432 रकबा 01 बिस्वा गैर मुमकिन चाह वाकै ग्राम मण्डावरी तहसील लालसोट होने के कथन स्वीकारते हुए अप्रार्थीगण ने कथन किये है कि खसरा नम्बर 2431 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा गैर मुमकिन बगीची एवम् खसरा नम्बर 2432 रकबा 01 बिस्वा गैर मुमकिन चाह सम्वत् 2003 से 2022 की खतौनी बन्दोबस्त में सिवायचक भूमि के रूप में दर्ज थी। उक्त खसरा नम्बर 2431 में सैकडों पेड थे एवम बहुत पुराना चाह जो मंदिर शिवालय बना हुआ है एवम् खसरा नम्बर 2431 गैर मुमकिन चाह जो काफी पुरानी चाह है सार्वजनिक चाह व मंदिर था जो ग्रामवासियों के उपयोग–उपभोग में एवम् भक्ति के काम में करीब 200 वर्षो से भी अधिक समय से आ रहा है। उक्त खसरा नम्बर 2431 एवम 243 कभी भी प्रार्थीगण या मुंशीलाल सोनी के कब्जे में नहीं रही है न ही कभी इनके द्वारा काश्त की गई बल्कि वरवक्त भूप्रबन्ध सम्वत् 2016 में तत्कालीन भूप्रबन्ध अधिकारियों एवम राजस्व कर्मचारियों से मिलकर प्रार्थीगण के पूर्वज गोपीलाल पुत्र श्योनारायण ब्राहम्ण हिस्सा 1/2 एवमं मुंशलाल, गजानन्द पिता श्रीनारायण जाति सुनार निवासी ग्राम मण्डावरी हिस्सा 1/2 गलत व अवैध तौर से जमाबंदी में बिना किसी आदेश के दर्ज करवा लिया जो बमुकाबले ग्राम वासी प्रभावशुन्य है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 2431 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा की किस्म गैर मुमकिन बगीची सम्वत् 1985 से ही गैर मुमकिन दर्ज थी क्योंकि उक्त सिवायचक भूमि मिल्कियत सरकार में सैकडों पेड ग्रामवासियों द्वारा लगाये गये थे। वर्तमान में उक्त पेड सूख चुक है परन्तु एक इमली का पेड करीब 100 वर्षो से भी अधिक पुराना आज भी खसरा नम्बर 2131 में खडा है जो भूमि की किस्म बगीची होने की गवाही दे रहा है एवम शिवालय भी करीब 200 वर्षो

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज.)

पुराना इसी भूमि पर आज भी विधमान है जिसमें ग्रामवासी भजन-पूजन करते है। शिवालय मंदिर की सेवा पूजा कैलाश प्रसाद नाथ के परिवारजन सैकडों वर्षो से करते चले आ रहे हे एवम आज भी ओमप्रकाश नाथ पुजारी सेवा पूजा करता है। प्रार्थीगण ने उक्त भूमि में कभी भी एक पेड भी नहीं लगाया। भूमि की किस्म गैर मुमकिन बगीची राजस्व रिकॉर्ड सम्वत् 1985 से ही दर्ज है। खसरा नम्बर 2431 एवम 2432 वरवक्त एकीकरण सम्वत् 2019 में खसरा नम्बर 589 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा गैर मुमकिन बगीची एवम् खसरा नम्बर 590 रकबा 5 बिस्वा गैर मुमकिन बगीची, खसरा नम्बर 591 रकबा 1 बिस्वा गैर मुमकिन चाह के रूप में दर्ज हुआ है परन्तु गोपीलाल का हिस्सा 1/2 एवमं मुंशीलाल, गजानन्द का हिस्सा 1/2 गलत व अवैध तौर से दर्ज अंकित हुआ है। उक्त भूमि पर इन लोगो का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। यह सही है कि भूमि एकीकरण के बाद खसरा नम्बर 1173/589, 1175/589 राजस्व विभाग द्वारा बदले गये है। खसरा नम्बर 255 व खसरा नम्बर 783 प्रार्थीगण की पैतृक कृषि भूमि नहीं है। उक्त भूमि गैर मुमकिन बगीची एवम् गैर मुमकिन चाह है जिसकी सम्वत् 2016 में प्रार्थीगण के पूर्वज गोपीलाल एवम मुंशीलाल सुनार जो तत्कालीन प्रभावशाली लोग थे, ने भूप्रबन्ध विभाग के राजस्व कर्मचारियों से मिलकर गलत तरीके से अपने नाम करवाई है इस कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा झूठे तथ्यों पर पेश किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रतीप प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अंकित किया है कि खसरा नम्बर 782 गैर मुमकिन बीगीची, खसरा नम्बर 783 चाही, खसरा नम्बर 784 चाही, खसरा नम्बर 785 गैर मुमकिन बगीची, खसरा नम्बर 786 गैर मुमकिन बगीची वाकै ग्राम मण्डावरी के पूर्व नम्बर 1177/589, 1174/589, 1173/589, 1175/589 थे। एकीकरण 2019 के समय उक्त आराजी के खसरा नम्बर 589, 590, 591 व वरवक्त बन्दोबस्त सम्वत् 2003 उक्त भूमि के खसरा नम्बर 2431, 2432 तथा सम्वत् 1985 में 2253 थे। सम्वत् 1985 में उक्त भूमि का रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा गैर मुमकिन बाग नाकाबिल चराई दर्ज था। उसके बाद बन्दोबस्त 2003 से 2002 के समय उक्त भूमि खसरा नम्बर 2431 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा गैर मुमकिन बगीची एवम खसरा नम्बर 2432 रकबा 01 बिस्वा गैर मुमकिन चाह सिवायचक के रूप में दर्ज रही है। इस प्रकार उक्त भूमि गैर मुमकिन बगीची व गैर मुमकिन चाह सार्वजनिक सिवायचक भूमि है जिसमें सैकडों की तादात में वृक्ष लगे हुए थे एवम ग्रामवासियों द्वारा प्राचीन शिवालय की स्थापना कर रखी थी एवम पुख्ता चाह बनवा रखी थी। आज भी उक्त भूमि में

सहायक कलेक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज.)

स्थित प्राचीन शिवालय एवम प्राचीन कूप एवम इसमें खडा ईमली का प्राचीन पेड इसकी प्राचीनता की गवाही दे रहा है। उक्त शिवालय में ग्राम मण्डावरी के निवासी आज भी पूजा–अर्चना कर रहे है। इस भूमि पर कभी भी कोई काश्त नहीं हुई है क्योंकि भूमि की किस्म सम्वत् 2003 में बगीची नाकाबिल चराई राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रही है। उक्त भूमि को प्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा गलत तरीके से अपने नाम लगवाई है। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत जिस भूमि में बाग लगे हो एवम् जिसकी मालिक सरकार हो, को किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। उक्त भूमि खसरा नम्बर 2431 जिसकी किस्म सम्वत् 1985 में गैर मुमकिन बगीची व बाग दर्ज थे, में प्रार्थीगण के पूर्वजों को किसी भी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते थे। दिये गय खातेदारी अधिकार धारा 16 के विरूद्ध प्रदान किये गये है। भू–प्रबन्ध के राजस्व कर्मचारियों को प्रतिबंधित भूमि में किसी भी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्रदान करने के कोई कानूनी हक अधिकार प्राप्त नहीं थे फिर भी सम्वत् 2008 में प्रार्थीगण के पूर्वजों को किस अधिकार के तहत भूमि की खातेदारी प्रदान की गई स्पष्ट नहीं है। इस कारण वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में सम्वत् 2008 में सिवायचक भूमि एवम् गैर मुमकिन बगीची व चाह में प्रार्थीगण के पूर्वजों का नाम हटाया जाकर पुनः भूमि को सिवायचक भूमि घोषित किया जावे एवम राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करवाया जावे। अप्रार्थीगण द्वारा प्रतीप प्रार्थना में अभिवचन करते हुए खसरा नम्बर 782, 783, 784, 785, 786 वाकै ग्राम मण्डावरी जिसमें प्राचीन शिवालय एवम प्राचीन कूप व बगीची तथा वर्षो से पूजा–अर्चना व सार्वजनिक रूप से काम लिये जाने के तथ्य अंकित कर अप्रार्थीगण एवम् ग्रामवासियों को पूजा–अर्चना करने से रोकने, व्यधान पैदा करने से प्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करवाने का निवेदन किया है। अप्रार्थीगण का जवाब व प्रतीप प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा शामिल पत्रावली किया जाकर नकल अधिवक्ता प्रार्थीगण को दिलवाई गई। तथा प्रार्थना पत्र का जवाब तलब किया गया।

प्रार्थीगण की ओर से प्रतीप प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तथ्यो को आंशिक स्वीकार करते हुए जवाब पेश किया कि प्रतिप प्रार्थना पत्र में अंकित खसरा नम्बर सही है अप्रार्थीगण द्वारा आराजी वर्तमान खसरा नम्बर 783 के खातेदारान के रूप में प्रहलाद, सीतराम, शम्भूदयाल, गोपाल पिता गजानन्द जाति सुनार के नाम अंकित किये जो प्रार्थना पत्र में पक्षकार ही नहीं है। प्रार्थीगण का वाद एवम् प्रार्थना

सहायक कलक्टर
लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर (राज०)

1

पत्र वर्तमान खसरा नम्बर 9 व खसरा नम्बर 782 रकबा 38 एयर कुल रकबा 47 एयर के संबंध में है। भूमि एकीकरण के समय पूर्व खसरा नम्बर भूप्रबन्ध संवत 2007 से 2022 में खसरा नम्बर 2431 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा व खसरा नम्बर 2432 रकबा 1 बिस्वा से बने है। भूप्रबन्ध के दौरान उक्त खसरा नम्बरान की खातेदारी प्रार्थीगण के बाबा स्व. गोपीलाल जाति ब्राह्मण व मुंशीलाल, गजानन्द जाति सुनार के नाम अंकित थी। पूर्व में 1985 में आराजी के खसरा नम्बरान के संबंध जानकारी नहीं होना बताया है। प्रार्थीगण का कहना है कि आराजी वादग्रस्त खातेदारी की भूमि रही है, सार्वजनिक नहीं रही है। राजस्व अभिलेख में भूमि नाकाबिल चराई दर्ज थी। गलत तरीके से वादग्रस्त आराजी के खातेदारी दर्ज होने के कथन का खण्डन करते हुए प्रार्थीगण के कथन है कि भूप्रबन्ध के समय भूप्रबन्ध विभाग द्वारा प्रार्थीगण के हक में विधिवत् पटटा जारी किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 से अप्रभावित है चूंकि दिनांक 25.11.1950 को पर्चा प्रचलित हुआ तत्सयम रा0का0 अधि0 का अस्तित्व ही नहीं था। काश्तकारी कानून लागू होने के समय जो व्यक्ति जिस स्थिति में राजस्व अभिलेख में अंकित था उसे उसी स्थिति में राजस्व अभिलेख में अंकित किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व भी प्रार्थीगण के पूर्व खातेदार थे तथा उसके बाद भी ,वर्तमान तक खातदारी में रही है। अप्रार्थीगण द्वारा इस चरण में अंकित तथ्यानुसार प्रतिवाद प्रतिनिधित्व प्रकार का बनाने का प्रयास किया गया जिसके लिए आदेश 1 नियम 8 सीपीसी की पालना नहीं की गई है अतः प्रति प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। पूर्व में भी विभिन्न प्रकरणों में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को चुनौती दी है जो न्यायालयों द्वारा निरस्त फरमायें गये है। इस प्रकार अप्रार्थीगण कानूनन प्रागन्याय के सिद्धान्त से भी बाधित है। अप्रार्थीगण को कोई वाद हेतु प्रकट ही नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में वादकारण के अभाव में प्रतिप प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। इस प्रकार कथन करते हुए प्रार्थीगण ने अपने जवाब में प्रार्थना पत्र प्रतिप खारिज करते हुए अप्रार्थीगण को पाबन्द किये जाने का निवेदन किया है। जवाब शामिल पत्रावली किया जाकर प्रकरण उभयपक्षों की बहस हेतु नियत किया गया। प्रकरण पर उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि ग्राम मण्डावरी तहसील लालसोट स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 255 रकबा 9 ऐयर गै0मु आबादी व खसरा नम्बर 782 रकबा 0.47 है0

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज0)

प्रार्थीगण की खातेदारी एवम् कब्जेकाश्त की भूमि है। जिसके भू–प्रबन्ध से पूर्व के नम्बर 1177/589 रकबा 14 बिस्वा गै0मु0 बगीची, खसरा नम्बर 1174/589 रकबा 15 बिस्वा गै0मु0 बगीची राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रहे है। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2008–2022 के समय उक्त वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 2431 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा व खसरा नम्बर 2432 रकबा 1 बिस्वा की खातेदारी प्रार्थी संख्या एक लगायत तीन के दादा स्व. गोपीलाल पुत्र श्योनाथ जाति ब्राह्मण एवम् मुंशीलाल, जगानन्द पिसरान् श्रीनारायण जाति सुनार निवासी ग्राम मण्डावरी के नाम हिस्सा 1/2, 1/2 के रूप में अंकित रही है। प्रार्थीगण के योग्य अधिवक्ता के तर्क है कि वादग्रस्त भूमि पर वृक्षारोपण कर दिया जिसके कारण भूमि की प्रकृति गै0मु0 बगीची के रूप में अंकित हो गई। भू–प्रबन्ध के बाद हुए भूमि एकीकरण के समय सम्वत् 2019 में वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर परिवर्तित होकर खसरा नम्बर 589 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा गै0मु0 बगीची, खसरा नम्बर 590 रकबा 5 बिस्वा गै0मु0 बगीची, खसरा नम्बर 591 रकबा 01 बिस्वा गै0मु0 चाह होकर पूर्ववत खातेदारी हिस्सा 1/2 स्व. गोपीलाल व हिस्सा 1/2 मुंशलाल, गजानन्द कं नाम दर्ज हुए तथा भूमि एकीकरण के बाद खसरा नम्बर 1173/589, 1174/589 व 1175/589 बनाये गये। स्व. गोपीलाल की मृत्यु के बाद आराजी खसरा नम्बर 207 व खसरा नम्बर 1543/581 कुल रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा ग्राम मण्डावरी की खातेदारी स्व. आनन्दीलाल के नाम व उनकी मृत्यु के बाद नामान्तरकरण संख्या 1625 से उत्तराधिकारी प्रार्थीगण के नाम अकित हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण के यह भी तर्क है कि आनन्दीलाल एवम मुंशीलाल व स्व. गजानन्द के पुत्रगण प्रहलाद आदि को पक्षकार अप्रार्थीगण बनाकर मंदिर शिवजी महाराज ग्राम मण्डावरी जरिए कैलाशचन्द पुत्र मूलचन्द जोगी पुजारी के नाम से आनन्दीलाल आदि एवम एक अन्य वाद आम जनता मण्डावरी द्वारा बद्रीलाल आदि जिसमें अप्रार्थी मीठालाल एवम अप्रार्थी जगदीश प्रार्थीगण के रूप में थे, ने वाद उनवानी आम जनता बनाम आनन्दीलाल आदि न्यायालय उपजिलाधीश दौसा में दिनांक 13.12.1994 को प्रस्तुत किये जो दिनांक 25.07.2012 को न्यायालय उपजिला कलक्टर लालसोट द्वारा निर्णीत फरमाये गये। दौनो वाद पत्र निरस्त होने के बाद आम जनता मण्डावरी जरिए मीठालाल नाम से उक्त आराजीयात् को राजकीय भूमि घोषित करवाने हेतु रेफरेन्स न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा में दिनांक 05.10.2015 को प्रस्तुत किया गया। उक्त न्यायालय से पत्रावली को अप्रार्थी संख्या एक के आवेदन पर स्थानान्तरित कर

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज०)

जिला कलक्टर दौसा को ट्रासंफर कर दिया गया। न्यायालय ने उनवानी रेफरेन्स संख्या 1/2017 आदेश दिनांक 05.08.2019 निरस्त फरमा दिया। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या एक व तीन द्वारा विगत 25 वर्षो से प्रार्थीगण को मुकदमेबाजी में फंसाकर परेशान किया जा रहा है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को बलपूर्वक भूमि वादग्रस्त चरण संख्या एक के संबंध में परेशान करते आ रहे है जबकि अप्रार्थीगण का भूमि वादग्रस्त से कोई संबंध सरोकार नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण सक्षम न्यायालयों द्वारा निरस्त फरमाये जा चुके है। इस कारण अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रतीप प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त की जावे। प्रार्थीगण आराजी वादग्रस्त खसरा नम्बर 255 रकबा 9 ऐयर, खसरा नम्बर 782 रकबा 38 ऐयर किता दो कुल रकबा 47 ऐयर वाकै ग्राम मण्डावरी के खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की पैतृक कृषि भूमि है, जिस पर प्रार्थीगण के पूर्वज स्व. गोपीलाल व उनकी मृत्यु के बाद स्व. आनन्दीलाल तथा उनकी मृत्यु के बाद प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी के संबंध में विधिक एवम भौतिक अधिकार प्राप्त है। अप्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि में कोई हित निहित नहीं है। अप्रार्थीगण बाहुबल से प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के जायज लाभ से प्रार्थीगण को वंचित करना चाहते है जिसके कारण प्रार्थीगण के हक अधिकारों का हनन होने व अपूरणीय क्षति होने की प्रबल सम्भावना है। अधिवता प्रार्थीगण ने अपने अभिवाकों के समर्थन में न्यायालयों के निणयों की प्रति पेश की है। इस प्रकार कथन कर खसरा नम्बर 255 एवम् 782 किता दो कुल रकबा 47 ऐयर वाकै ग्राम मण्डावरी तहसील लालसोट जिला दौसा स्थित भूमि पर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा प्रतिबन्धित करवाने का निवेदन किया है।

विद्वान अधिवक्ता अप्राथी ने अपनी जवाबी बहस में प्रार्थीगण के योग्य अधिवक्ता की बहस का खण्डन करते हुए दलीले पेश की है कि दावा दायरी से पूर्व एवम दायरी के समय प्रार्थीगण के कब्जे में वादग्रस्त आराजी रही ही नहीं है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को पाबन्द नहीं किया जा सकता है। वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 783 रकबा 19 एयर है जो वर्तमान में प्रहलाद, सीताराम, शम्भूदयाल, गोपाल पिसरान गजानन्द कौम सुनार के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, भू–प्रबन्ध से पूर्व ये भूमियों खसरा नम्बर 1177/589 रकबा 14 बिस्वा गै0मु0 बगीची, खसरा नम्बर 1174/589 रकबा 15 बिस्वा गैर मुमकिन बगीची के रूप में दर्ज रही है तथा भू–प्रबन्ध सम्वत् 2003 से 2022 के समय खसरा नम्बर 2431 रकबा 3 बीघा 4

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज.)

बिस्वा गैर मुमकिन बगीची एवम् खसरा नम्बर 2432 रकबा 01 बिस्वा गैर मुमकिन चाह के रूप में दर्ज रही है। खसरा नम्बर 2431 में सैकडों पेड थे एवम बहुत पुराना मन्दिर बना हुआ है जो वर्तमान में भी बना हुआ है जिसकी लोगो द्वारा पूजा अर्चना की जा रही है। खसरा नम्बर 2432 में काफी पुरानी चाह है। सार्वजनिक चाह व मंदिर ग्रामवासियों के उपयोग–उपभोग में एवम् भक्ति के काम में करीब 200 वर्षो से भी अधिक समय से आ रहा है। ये आलौच्य खसरा नम्बर 2431 एवम 2432 की भूमि कभी भी प्रार्थीगण या मुंशीलाल सोनी के कब्जे में नहीं रही है न ही कभी इनके द्वारा काश्त की गई बल्कि वरवक्त भूप्रबन्ध सम्वत् 2016 में तत्कालीन भूप्रबन्ध अधिकारियों एवम राजस्व कर्मचारियों से मिलकर प्रार्थीगण के पूर्वज गोपीलाल पुत्र श्योनारायण ब्राहम्ण हिस्सा 1/2 एवमं मुंशीलाल, गजानन्द पिता श्रीनारायण जाति सुनार निवासी ग्राम मण्डावरी हिस्सा 1/2 गलत व अवैध तौर से जमाबंदी में बिना किसी आदेश के दर्ज करवाई है, जो बमुकाबले ग्राम वासी प्रभावशुन्य है। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 2431 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा की किस्म गैर मुमकिन बगीची सम्वत् 1985 से ही गैर मुमकिन दर्ज थी क्योंकि उक्त सिवायचक भूमि मिल्कियत सरकार में सैकडों पेड ग्रामवासियों द्वारा लगाये गये थे। वर्तमान में उक्त पेड सूख चुक है परन्तु एक इमली का पेड करीब 100 वर्षो से भी अधिक पुराना आज भी खडा है जो भूमि की किस्म बगीची होने की गवाही दे रहा है एवम शिवालय भी करीब 200 वर्षो पुराना इसी भूमि पर आज भी विधमान है जिसमें ग्रामवासी भजन–पूजन करते है। शिवालय मंदिर की सेवा पूजा कैलाश प्रसाद नाथ के परिवारजन सैकडों वर्षो से करते चले आ रहे हे एवम आज भी ओमप्रकाश नाथ पुजारी सेवा पूजा करता है। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में मुरारीलाल पुत्र हरिकिशन जाति मीना उम्र 45 वर्ष निवासी मण्डावरी, प्यारेलाल पुत्र मूलचन्द उम्र 35 वर्ष जाति मीना निवासी मण्डावरी, मुकेश कुमार पुत्र मदनलाल जाति जांगिड निवासी मण्डावरी, ओमप्रकाश पुत्र कैलाश उम्र 40 वर्ष जाति नाथ निवासी मण्डावरी के शपथ पत्र पेश किये है, जिनमें शपथकर्ताओं द्वारा वादग्रस्त आराजी से परिचित होने तथा वादग्रस्त आराजी में पेड–पोधों एवम् पुख्ता चाह एवम् शिवालय स्थित होने के कथन किये है। तथा भूमि पर काश्त नहीं होने के कथन अंकित किये है। विद्वान वकील प्रतिपक्ष के यह भी तर्क है कि भूमि की किस्म गैर मुमकिन बगीची राजस्व रिकॉर्ड सम्वत् 1985 से ही दर्ज है। खसरा नम्बर 2431 एवम 2432 वरवक्त एकीकरण सम्वत् 2019 में खसरा नम्बर 589 रकबा 2 बीघा 19

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज.)

बिस्वा गैर मुमकिन बगीची एवम् खसरा नम्बर 590 रकबा 5 बिस्वा गैर मुमकिन बगीची, खसरा नम्बर 591 रकबा 1 बिस्वा गैर मुमकिन चाह के रूप में दर्ज हुआ है परन्तु गोपीलाल का हिस्सा 1/2 एवमं मुंशीलाल, गजानन्द का हिस्सा 1/2 गलत व अवैध तौर से दर्ज अंकित हुआ है। उक्त भूमि पर इन लोगो का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। भूमि एकीकरण के बाद खसरा नम्बर 1173/589, 1175/589 राजस्व विभाग द्वारा बदले गये है। खसरा नम्बर 255 व खसरा नम्बर 783 प्रार्थीगण की पैतृक कृषि भूमि नहीं है। उक्त भूमि गैर मुमकिन बगीची एवम् गैर मुमकिन चाह है जिसकी सम्वत् 2016 में प्रार्थीगण के पूर्वज गोपीलाल एवम मुंशीलाल सुनार जो तत्कालीन प्रभावशाली लोग थे, ने भूप्रबन्ध विभाग के राजस्व कर्मचारियों से मिलकर गलत तरीके से अपने नाम करवाई है इस कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा झूठे तथ्यों पर पेश किया गया है। खसरा नम्बर 782 गैर मुमकिन बीगीची, खसरा नम्बर 783 चाही, खसरा नम्बर 784 चाही, खसरा नम्बर 785 गैर मुमकिन बगीची, खसरा नम्बर 786 गैर मुमकिन बगीची वाकै ग्राम मण्डावरी के पूर्व नम्बर 1177/589, 1174/589, 1173/589, 1175/589 थे। एकीकरण 2019 के समय उक्त आराजी के खसरा नम्बर 589, 590, 591 व वरवक्त बन्दोबस्त सम्वत् 2003 उक्त भूमि के खसरा नम्बर 2431, 2432 तथा सम्वत् 1985 में 2253 थे। सम्वत् 1985 में उक्त भूमि का रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा गैर मुमकिन बाग नाकाबिल चराई दर्ज था। उसके बाद बन्दोबस्त 2003 से 2022 के समय उक्त भूमि खसरा नम्बर 2431 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा गैर मुमकिन बगीची एवम खसरा नम्बर 2432 रकबा 01 बिस्वा गैर मुमकिन चाह सिवायचक के रूप में दर्ज रही है। इस प्रकार उक्त भूमि गैर मुमकिन बगीची व गैर मुमकिन चाह सार्वजनिक सिवायचक भूमि है जिसमें सैकडों की तादात में वृक्ष लगे हुए थे एवम ग्रामवासियों द्वारा प्राचीन शिवालय की स्थापना कर रखी थी एवम पुख्ता चाह बनवा रखी थी। आज भी उक्त भूमि में स्थित प्राचीन शिवालय एवम प्राचीन कूप एवम इसमें खडा ईमली का प्राचीन पेड इसकी प्राचीनता की गवाही दे रहा है। उक्त शिवालय में ग्राम मण्डावरी के निवासी आज भी पूजा-अर्चना कर रहे है। इस भूमि पर कभी भी कोई काश्त नहीं हुई है क्योंकि भूमि की किस्म सम्वत् 2003 में बगीची नाकाबिल चराई राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रही है। उक्त भूमि को प्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा गलत तरीके से अपने नाम लगवाई है। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत जिस भूमि में बाग लगे हो एवम् जिसकी मालिक सरकार हो, को किसी भी व्यक्ति को खातेदारी

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज.)

अधिकार नहीं दिये जा सकते। उक्त भूमि खसरा नम्बर 2431 जिसकी किस्म सम्वत् 1985 में गैर मुमकिन बगीची व बाग दर्ज थे, में प्रार्थीगण के पूर्वजों को किसी भी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते थे। दिये गय खातेदारी अधिकार धारा 16 के विरूद्ध प्रदान किये गये है। भू–प्रबन्ध के राजस्व कर्मचारियों को प्रतिबंधित भूमि में किसी भी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्रदान करने के कोई कानूनी हक अधिकार प्राप्त नहीं थे फिर भी सम्वत् 2008 में प्रार्थीगण के पूर्वजों को किस अधिकार के तहत भूमि की खातेदारी प्रदान की गई स्पष्ट नहीं है। इस कारण वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में सम्वत् 2008 में सिवायचक भूमि एवम् गैर मुमकिन बगीची व चाह में प्रार्थीगण के पूर्वजों का नाम हटाया जाकर पुनः भूमि को सिवायचक भूमि घोषित किया जावे एवम राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करवाया जावे। अप्रार्थीगण द्वारा प्रतीप प्रार्थना में अभिवचन करते हुए खसरा नम्बर 782, 783, 784, 785, 786 वाकै ग्राम मण्डावरी जिसमें प्राचीन शिवालय एवम प्राचीन कूप व बगीची तथा वर्षो से पूजा–अर्चना व सार्वजनिक रूप से काम लिये जाने के तर्क पेश कर अप्रार्थीगण एवम् ग्रामवासियों को पूजा–अर्चना करने से रोकने, व्यधान पैदा करने से प्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करवाने का निवेदन किया है। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में निम्न कानूनी नजीरे पेश की है:–

1. आरआरडी 1992 पेज 344 से 346
2. आरआरडी 1995 पेज 650 से 654
3. आरआरडी 1994 पेज 577 से 579
4. आरआरडी 1986 पेज 238 से 249
5. आरआरडी 1996 पेज 389 से 393
6. आरआरडी 1996 पेज 296 से 298

न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1992 पेज 344 से 346 फकीर मोहम्मद बनाम जगन्नाथ में माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में प्रतिपादित किया है कि documentary evidence prima facie not supporting plaintiff's claim either regarding title or possession-held, prayer for temporary injunction on the basis of a note in jamabandi was rightly received by trial court.

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज.)

आरआरडी 1995 पेज 650 से 654 हनुमान मल बनाम मंदिर श्री हंसराज व अन्य में माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में प्रतिपादित किया है कि Receiver can be appointed against a recorded khatedar if prima faice the entry seems erroneous in the record- murti mandir is recorded as muafidar since st. 2003 on the land in dispute and same entry is repeated in st. 2010 and 2011- At the first time there is a change in st. 2015 where murti mandir has been recorded in col. No. 4 and name of applicant's father in col. No. 5- again , murti mandir is recorded in col. No.5 in st. 2031 to 2034- Spot inspection report was prepared by tehsildar in the presence of applicant's Advocate which reveals that petitioners live in aSSam and do not themselves cultivate the land in dispute, suprression is done by mukhtiaram- prima facie murti mandir is khatedar tenant and who is a premanent minor incapable of cultivating the land- In the circumstances, the rights of mandir is more important as compared to the rights of the apllicant- prima facie, the name of the applicants seems to be entered by mistake as khatedar- Applicant is damaging land by cutting trees.

आरआरडी 1994 पेज 577 से 579 उनवानी प्रकरण चांद सिंह बनाम भागसिंह में ाननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में प्रतिपादित किया है कि Both parties, respassers without any ostensible title over suit land- Land, prima aice Govt. land which needed protection- Appointment of Receiver y trial court, Justified.

1. आरआरडी 1986 पेज 238 से 249 श्रीशिवराम चेला बनाम श्रीमिश्रु में माननीय न्यायालय में प्रतिपादित किया है कि ed public propose and utility khatedari rights to tenant in lads diety view take by l.b. in 1984 RRD 1. That public properties in endowed to idol essentially for public purpose and public utility and khetadari rights can not accrue to tenant cultivating such lands on account of bar of sec. 16(6) not corret since legislative change and agrarian revolution

सहायक कलक्टर
...-चौमू (राज०)

in land tenure system in vouge not considered by l.b. question referred to a still L.B.

आरआरडी 1996 पेज 296 से 298 में माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में प्रतिपादित किया है कि prima facie plaintiffs are the recorded khatedar so and are in possession of the disputed land on the day of filling the suit but view fo khasra girdawari st. 2031 to 2033 submitted prima facie possession of defendant was on land in dispute in these years and on the day of filling the suit. Under the circumstance temporay injunction can not be issued.

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर गौर फरमाया। पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अध्ययन किया। प्राथीगण द्वारा ग्राम मण्डावरी तहसील लालसोट स्थित खसरा नम्बर 255 एवम् 782 किता दो कुल रकबा 47 ऐयर के संबंध में रिलिफ चाहा है। जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 में प्रतिवादीगण खातेदार के रूप में अंकित है एवम् एकीकरण जमाबंदी सम्वत् 2009 में वादग्रसत आराजी की खातेदारी गोपीलाल पुत्र शिवनाथ कौम ब्राहम्ण हिस्सा 1/2 एवम मुंशीलाल, गजानन्द पिता श्रीनारायण हिस्सा 1/2 कौम सुनार साकिन देह के नाम रही है। खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2003 लगायत 2022 में खसरा नम्बर 2431 व 2432 सिवायचक बिला लगानी के रूप में दर्ज है। जमाबंदी खेवट खतौनी सम्वत 2016 से 2019 एकीकरण विभाग में उक्त भूमि गोपीलाल पुत्र शिवनाथ कौम ब्राहम्ण एवम मुंशीलाल, गजानन्द पिता श्रीनारायण के नाम दर्ज रही है। उसके बाद सम्वत् 2038 से 2041 में भी इन्हे के नाम तथा 2045 से 2048 में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रही है। इससे स्पष्ट है कि वर्तमान में वादग्रस्त भूमि के खातेदार अप्रार्थीगण ही है। वादग्रस्त भूमि की खातेदारी अप्रार्थीगण एवम इनके पूर्वजों के नाम रही है इन दस्तावेजों व वकील प्रार्थी की बहस के परिक्षणोपरान्त प्रथम दृष्टया यह प्रमाणित होता है। किन्तु वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थीगण द्वारा काश्त की जा रही हों इस हेतु खसरा गिरदावरियॉ प्रस्तुत नहीं की है जिससे कब्जा सम्बन्धित प्रश्न का विनिश्चिय नही किया जा सका है। अप्रार्थीगण व उनके अधिवक्ता ने इस बात का खण्डन नहीं किया है कि वादग्रस्त आराजी पर मन्दिर नहीं है तथा चाह सार्वजनिक

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज०)

है। यह भी दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी की किस्म इमारती एवम् चाह की रही है। किन्तु खातेदार के रूप में प्रार्थीगण ही है। खातेदारी धारा 16 से ग्रसित है या नहीं इन तथ्यों का इस प्रार्थना पत्र के स्तर पर निर्णय नहीं किया जा सकता है। वादीगण द्वारा वाद स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है जिसमें न्यायालय को यह देखना है कि दावा दायरी के समय वादग्रस्त आराजी किसके कब्जे में रही है। चूंकि केवल खातेदारी अंकन के आधार पर ही कब्जेधारी को बेदखल किया जाना न्याय की दिशा में उचित नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में कब्जे के संबंध में याचिपक्ष द्वारा ऐसी खसरा गिरदावरियॉ या दस्तोवजात् प्रस्तुत नहीं किये है जिससे वर्तमान में प्रार्थीगण के कब्जे की पुष्टि होती हो। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत गवाहों के शपथ पत्र आदि से प्रथम दृष्ट्या कब्जे के रूप में वादग्रस्त आराजी पर शिवमंदिर होने की पुष्टि होती है। राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार के रूप में प्रार्थीगण के प्रथम दृष्टया सिद्ध होने पर रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध भी निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण एवम प्रतीप प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण प्रथम दृष्टया साबित नहीं होते है।

दौना पक्षो की बहस को ध्यान में रखते हुए तथा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन के उपरान्त दावा दायरी के समय भूमि विवादग्रस्त राजस्व रिकॉर्ड खतौनियो में प्रार्थीगण के खाते में दर्ज होना प्रथम दृष्ट्या प्रकट होता है, ऐसी स्थिति में भूमि विवादास्पद के प्रथम दृष्ट्या खातेदार प्रार्थीगण माने जावेगे। परन्तु जब कब्जे की अवधारणा की जाती है तो प्रार्थीगण की ओर से कोई ऐसा दस्तावेज खसरा गिरदावरियॉ आदि पेश नहीं किया है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि इस भूमि पर प्रार्थीगण द्वारा काश्त की जा रही है। चूंकि मंदिर होने के तथ्य को प्रार्थीगण द्वारा नकारा नहीं है एवम यह तथ्य गवाहों के द्वारा प्रथम दृष्ट्या साबित भी किया है। ऐसी स्थिति में वादीगण का कब्जा मानकर यदि प्रतिपक्ष को पाबन्द किया जाता है तो सुविधा का संतुलन अप्राथीगण के पक्ष में होगा। चूंकि प्रार्थीगण की ओर से कब्जा सिद्ध नहीं किया है ऐसी स्थिति में अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण को होने का तर्क उचित नहीं ठहराया जा सकता। उक्त विवेचना के उपरान्त प्रार्थीगण एवम् अप्रार्थीगण का प्रतीप प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होते है।

:: आदेश ::

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज.)

अतः उक्त विवेचन तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विवादास्पद भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा सिद्ध नहीं होने व वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों की रोशनी में स्वीकार योग्य नहीं है। तथा अप्रार्थीगण का प्रतीप प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण के रिकॉर्डेड खातेदार होने के कारण अप्रार्थीगण के पक्ष में नही है। ऐसी स्थिति में दौनो प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 27.05.2024 को सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूलवाद रहे।

विजेन्द्र कुमार मीना (आरएएस)

सहायक कलक्टर लालसोट दौसा

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज.)